ग्राम रक्षा दल के दलपतियों के लिए कार्य सम्बन्धी अनुदेश

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1947; बिहार पंचायत ग्राम रक्षा दल नियमावली, 1949 और समय-समय पर निर्गत विभागीय परिपत्रों के आलोक में मुखिया के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन ग्राम रक्षा दल के दलपति को निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करना आवश्यक है ।

(1) संगठनात्मक कार्य :-

(क) पंचायत सेवक के सहयोग से नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र एक की पंजी में पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत रहनेवाले 18 से 30 वर्ष आयु-सीमा के शारीरिक रूप से समर्थ योग्य पुरुषों की सूची तैयार करें और हर साल जनवरी महीने में आवश्यक संशोधन एवं परिवर्द्धन कर उसे अद्यतन बनाए रखें ।

(ख) तत्काल कम से कम 44 जवानों का कारगर दल संगठित करें जिसमें 4 सेक्शनल अफसर (पंचायत के प्रत्येक वार्ड में एक-एक) और कम से कम 40 स्वयंसेवक (प्रत्येक सेक्शनल अफसर के साथ दस के हिसाब से) रखे जाएँ । सेक्शनल अफसरों का चयन मुखिया की सहमति से 21 से 27 वर्ष आयु-सीमा के वैसे स्वयंसेवकों में से किया जाए जिनमें दलपति पद के लिए नियमानुसार निर्धारित योग्यताएँ हों । इसी भाँति स्वयंसेवकों के चयन में ध्यान रहे कि वार्ड के हर टोले एवं हर समुदाय का प्रतिनिधित्व हो । स्वयंसेवकों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए जबतक कि निर्धारित आयु-सीमा के सभी योग्य युवक विधिवत संगठित न हो जाएँ ।

(ग) नियम 6 के अनुसार स्वयंसेवकों से निर्धारित प्रपत्र में प्रतिभूति लेकर उन्हें मुखिया और प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से विधिवत नामांकन पत्र दिलाने की कार्रवाई करें ।

(घ) नियम 12 के अनुसार विधिवत नामांकित स्वयंसेवकों की सूची निर्धारित प्रपत्र एक की पंजी में तैयार करें और निदेशानुसार समय-समय पर आवश्यक सूचनाएँ अंकित कर उसे अद्यतन बनाए रखें ।

(ङ) नियम 21 के अनुसार स्वयंसेवकों को दल से विधिवत मुक्त कराने की कार्रवाई समय पर किया करें और उन्हें पदमुक्ति का प्रमाण-पत्र दिलाते हुए उनसे नामांकन प्रमाण-पत्र एवं वर्दी आदि दिये गये सभी साज-सामानों को वापस ले लिया करें ।

(कृ० पृ० उ०)

(2) प्रशेक्षणिक कार्य :-

(क) नियम 8 के अनुसार अपने दल के सभी स्वयंसेवकों को निर्धारित प्रशिक्षण दें ।

(ख) नियम 8(5) के अनुसार मुखिया के परामर्श से निर्मित भिन्न-भिन्न समूहों में सभी स्वयंसेवकों को नियमित रूप से साप्ताहिक व्यायाम के लिए बुलायें और सामूहिक रूप से अभ्यास करायें ।

(ग) साल में नियम 14(1) के अनुसार दो सप्ताह की वार्षिक रैली आयोजित करें और स्वयंसेवकों से प्रशेक्षणिक विषयों का अभ्यास एवं मुखिया द्वारा निश्चित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करायें ।

(घ) विभागीय अनुदेशकों द्वारा पंचायत या प्रखण्ड में संचालित प्रशिक्षण शिविरों में उनके निदेशानुसार सहयोग करें ।

(ङ) स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और साप्ताहिक व्यायाम आदि का तिथिवार विवरण नियमित रूप से एक पंजी में लिखा करें ।

(3) विधि-व्यवस्था एवं अपराध-नियंत्रण सम्बन्धी कार्य :-

(क) वैधानिक प्रावधानों के अनुसार पंचायत-क्षेत्र में दल के सहयोग से सार्वजनिक शांति एवं अक्षोभ बनाये रखें । हरिजन, आदिवासी आदि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करें और उनके साथ होने वाले अत्याचारों को रोकने में प्रशासन को सहयोग दें ।

(ख) धारा 30(2) के अनुसार अपराधों और लोक-दूषणों को होने देने से रोकें तथा विनिर्दिष्ट अवस्थाओं में किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करें और मुखिया को सूचित करते हुए उसे अपने प्रतिवेदन के साथ थाना को सुपुर्द करें ।

(ग) मुखिया और स्थानीय थाना पदाधिकारी के मार्गदर्शन में पंचायत के प्रत्येक वार्ड अथवा सभी गाँवों में दल के स्वयंसेवकों द्वारा रात्रि-पहरा की नियमित और समुचित व्यवस्था करायें । पहरेदारों के लिए लालटेन, टॉर्च, लाठी एवं अन्य हथियारों (आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक आदि को छोड़कर) का यथासम्भव प्रबन्ध भी मुखिया से कराने का प्रयास करें ।

(कृ० पृ० उ०)

(घ) रात्रिपहरा की तिथिवार क्रमिका की एक प्रति अपने पास रखें और एक प्रति मुखिया को और एक-एक प्रति सम्बन्धित थाना तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दें ।

(ङ) नियमित रूप से हर रात पहरे की जाँच करें तथा उसमें सहयोग करें । समय-समय पर खतरे की घंटी बजाकर डकैत-भिड़ंत का पूर्वाभ्यास करायें ।

(च) चोर-डकैतों का हमला होने पर पूरी सावधानी से अपने जवानों के साथ डटकर उनका मुकाबला करें और उसकी सूचना तुरत मुखिया और थाना को दें ।

(छ) स्वयंसेवकों के सहयोग से अपने क्षेत्र में साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखें तथा असामाजिक तत्वों द्वारा फैलायी गयी ऐसी अफवाहों को रोकें जिनसे शांति-भंग होने की आशंका हो और उसकी सूचना अविलम्ब मुखिया एवं थाना को दें ।

(ज) शांति-भंग अथवा कोई अपराध करने के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा बनायी गयी योजनाओं के सम्बन्ध में गुप्त रूप से जानकारी प्राप्त करें और उसकी सूचना तुरत मुखिया, सरपंच एवं थाना को दें ।

(झ) रात्रिपहरा आदि से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रतिदिन एक पंजी में लिखा करें ।

(4) आपातकालीन कार्य :-

(क) पंचायत अधिनियम की धारा 28 के अनुसार आपात के अवसर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करें ।

(ख) धारा 30(1) के अनुसार किसी आपात् के उद्भव तथा कारण के सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगायें और उस पर अनुमण्डल दण्डाधिकारी को तुरन्त रिपोर्ट भेजते हुए उसकी एक प्रति मुखिया को दें ।

(ग) नियम 14(2) के अनुसार संकट-काल में पड़ोस के दल को सहायतार्थ बुलवायें और वहाँ से मांग होने पर अपने दल के साथ जाकर आवश्यक सहयोग दें ।

(घ) नियम 15(1) के अनुसार पंचायत-क्षेत्र में शांति-भंग को रोकने के कार्य में प्रतिनियुक्त पुलिस अफसर अथवा सरकार के अन्य सेवक को

(कृ० पृ० उ०)

उनकी विधिवत मांग पर अपने दल के साथ आवश्यक सहयोग करें ।

(ङ) जिला प्रशासन के आदेशानुसार आपातकालीन स्थिति में भीड़ आदि के नियंत्रण सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन करें ।

(5) आकस्मिक कार्य :-

(क) जब-कभी चाहे दिन हो या रात, कोई अगलगी की घटना घटे, तो उसे तत्काल अपने दल की सहायता से बुझायें । बड़ी अगलगियों में आवश्यकतानुसार फायर ब्रिगेड आदि की सहायता के लिए थाना तथा निकटतम पदाधिकारियों को अविलम्ब सूचित करें । ग्रीष्म ऋतु में खासकर फूस के छप्पर वाले टोलों में लोगों को पूरी सावधानी से आग का उपयोग करने की सलाह दें ।

(ख) अकाल, महामारी, बाढ़ आदि प्राकृतिक एवं आपदाओं के अवसरों पर पर दल के साथ आवश्यक सेवा एवं सहाय्य कार्यों का सम्पादन करें ।

(ग) दुर्घटना आदि में घायल लोगों का यथासंभव प्राथमिक उपचार करें और आवश्यकतानुसार उन्हें निकटतम डाक्टर के पास या अस्पताल पहुंचाने में सहायता दें ।

(घ) आपातकालीन एवं आकस्मिक कार्यों का विवरण एक पंजी में लिखा करें ।

(6) ग्राम कचहरी सम्बन्धी कार्य :-

(क) सप्ताह के निश्चित दिनों में अनिवार्य रूप से ग्राम कचहरी के इजलास में स्वयं उपस्थित रहें और सरपंच के आदेशों का पालन करें ।

(ख) आदेशानुसार सम्मन, नोटिस, वारंट आदि को तामील करें ।

(ग) आदेशानुसार अभियुक्त या सजावार कैदियों को जेल पहुंचायें।

(7) सामान्य कार्य :-

(क) नियमानुसार दल के सहयोग से पंचायत के निवासियों में आत्मनिर्भरता और अनुशासन की प्रवृति जागृत करें तथा उनमें नागरिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करें ।

(ख) कार्यकारिणी समिति के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन दल के स्वयंसेवकों से नियम 16(2) में दिये गये कार्यों का सम्पादन करायें ।

(कृ० पृ० उ०)

(ग) कार्यकारिणी समिति की बैठकों तथा वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक आम सभाओं से सम्बन्धित नोटिस आदि की तामीली करायें और स्वयं भी स्वयंसेवकों के साथ उक्त अवसरों पर उपस्थित रहें ।

(8) प्रशासनिक कार्य :-

(क) नियम 11 के अनुसार शासन एवं कार्य की सुविधा के लिए दल को दस्तों में विभाजित करें, यथा अग्नि दस्ता, रक्षी प्रहरी दस्ता, शांति दस्ता, प्राथमिक उपचार दस्ता, आदि ।

(ख) नियम 13 के अनुसार संकट काल में खतरे की घंटी बजाकर स्वयंसेवकों को एकत्रित करें और कार्य करायें ।

(ग) नियम 14 के अनुसार स्वयंसेवकों के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार कर्त्तव्य-क्रमावली (रोस्टर) तैयार करें और उन्हें सूचित कर कार्य करायें ।

(घ) नियम 17 के अनुसार मुखिया के आदेशों एवं निदेशों का स्वयं पालन करें और सेक्शनल अफसरों एवं स्वयंसेवकों से अपने और अन्य श्रेष्ठ अफसरों के आदेशों का, जिनके अधीन वे हों, पालन करायें । स्वयं अनुशासित रहकर दल को अनुशासित बनाये रखें ।

(ङ) नियम 19 के अनुसार कर्त्तव्य विमुखता के लिए दल के सदस्यों को कोई दण्ड दिये जाने के पूर्व स्वयं विभागीय कार्रवाई करें । आवश्यकतानुसार मुखिया की सहमति से नियम 18 के अन्तर्गत किसी स्वयंसेवक को ग्राम कचहरी से भी दण्ड दिलाने सम्बन्धी कार्रवाई कराई जाये ।

(च) नियम 26 के अनुसार मुखिया के परामर्श से स्वयं दल सम्बन्धी सभी आदेश किया करें ।

(छ) अन्य विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों का भी पालन करें ।

(ज) प्रशिक्षण के समय या काम पर निर्धारित वर्दी का प्रयोग करें ।

(झ) आपात कालीन अवसरों की विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सभी आदेश लिखित रूप में दिये जायेंगे ।

(9) रचनात्मक कार्य :- सामूहिक सफाई तथा सार्वजनिक कम्पोस्ट एवं पनसोख गढ़ों और ग्रामीण पथ एवं बाँध आदि के निर्माण या मरम्मत हेतु मुखिया द्वारा

आयोजित श्रमदान कार्यक्रमों में भाग लें ।

(10) लगान वसूली कार्य: पंचायत द्वारा किये जानेवाले लगान वसूली के काम में आवश्यक योगदान दें । विभागीय पत्रांक -7758 सा०वि० दिनांक-14-12-74 के आदेशानुसार इसके लिए पंचायत को प्राप्त कमीशन की राशि का 25 % प्रतिशत दलपति को मिलेगा ।

(11) क्रीड़ा-केन्द्र का संचालन :- मुखिया की सहमति सर्व सहयोग से अपनी पंचायत में क्रीड़ा-केन्द्र के संचालन का प्रयास करें । दल के जवानों की कबड्डी, खो-खो आदि खेल की टीमें तैयार कर नियमित रूप से अभ्यास करायें और समय-समय पर आयोजित प्रतियोगिताओं में अपनी टीम के साथ भाग लें ।

(12) वाचनालय केन्द्र का संचालन :- मुखिया के सहयोग से पंचायत में वाचनालय केन्द्र संचालित करने का भी प्रयास करें और उसके माध्यम से जन-शिक्षा-निरक्षर स्वयंसेवकों को साक्षर बनाने, लोगों को परिवार-नियोजन की उपयोगिता समझाने आदि, के साथ-साथ समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रयत्नशील रहें ।

(13) विशेष समारोहिक कार्य :- हर साल स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) और ग्राम रक्षा दल सप्ताह (23 जनवरी से 29 जनवरी) के अवसरों पर समारोहिक ढंग से ध्वजाभिवादन एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन मुखिया की देखरेख में किया करें ।

(14) मासिक बैठक, रैली आदि :- प्रखण्ड स्तरीय मासिक बैठकों और निदेशानुसार समय-समय पर आयोजित विभागीय रैलियों में अनिवार्य रूप से भाग लें ।

(15) दैनन्दिनी आदि विवरणों का प्रेषण :-

(क) प्रतिदिन अपने द्वारा किये गये कार्यों का संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट दैनन्दिनी एक पुस्तिका में लिखें और अपनी मासिक दैनन्दिनी मुखिया और सरपंच के मन्तव्य के साथ अगले माह की 5 तारीख तक क्षेत्रीय अनुदेशक के माध्यम से जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पास नियमित रूप से भेजा करें । दैनन्दिनी के साथ संलग्न प्रपत्र में आवश्यक सूचनायें भी दें ।

(कृ० पृ० उ०)

(घ) सभा-समा पर स्वतः या दल द्वारा सम्पादित विशेष उल्लेखनीय कार्यों के विवरण भी मुखिया की अनुशंसा के साथ यथोचित पुरस्कार की स्वीकृति हेतु क्षेत्रीय अनुदेशक के माध्यम से जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भेजा करें । उसकी एक प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भी दें ।

(16) सामानों की व्यवस्था :- दल के कार्य-सम्पादन के लिए आवश्यक पंजियों एवं लेखन-सामग्रियों तथा खेल-कूद एवं रात्रि पहरे से सम्बन्धित आवश्यक सामानों की व्यवस्था नियम 23 के प्रावधानों के अन्तर्गत मुखिया कृपया अपनी कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से पंचायत-निधि से करायेंगे ।

(17) सामग्री परिलेखा :- दल के प्रयोजनार्थ पंचायत या सरकार से प्राप्त वर्दी आदि सभी साज-सामानों का लेखा विशेष रूप से संधारित एक पंजी में दलपति रखा करेंगे ।

(18) कानूनी संरक्षण :- उल्लेखनीय है कि पंचायत अधिनियम की धारा 83 के प्रावधानों के अन्तर्गत मुखिया, सरपंच, दलपति आदि को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थों में लोक सेवक घोषित किया गया है । पंचायत अधिनियम की धारा 84'क' के अनुसार उनके द्वारा अपने अधिकारिय कर्त्तव्यों के निर्वहन में करते हुए या उसके अभिप्राय से करते हुए किसी अपराध का कोई न्यायालय जिला पदाधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संज्ञान नहीं करेगा ।

बलराम/-
10-6-81

निदेशक, पंचायती राज-सह-अपर सचिव ।

ग्राम रक्षा दल का मासिक कार्य विवरण

माह :- वर्ष :-

ग्राम पंचायत :- प्रखण्ड :- अनुमण्डल :- जिला :-

[illegible]ति का नाम	ग्राम पंचायत की जनसंख्या	18 से 30 वर्ष आयु-सीमा के युवकों की सं0	विधिवत नामांकित स्वयंसेवकों की सं0		विधिवत अपदमुक्त स्वयंसेवकों की संख्या		कार्यरत स्वयंसेवकों की कुल संख्या।	प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की संख्या		इस माह [illegible] में सम्मिलित स्वयंसेवकों की संख्या	पकड़े गये चोर-डकैतों की संख्या		बुझाई गई आगलगियों की संख्या		अन्य उल्लेखनीय [illegible] एवं [illegible] कार्य
			इस माह	इस वर्ष	इस माह	इस वर्ष		इस माह	इस वर्ष		इस माह	इस वर्ष	इस माह	[illegible]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

दलपति का हस्ताक्षर